(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/1155 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.01.2018 पारित, द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 335/अपील/15-16.

प्रकाशचन्द्र परियानी आ. स्व. हीरानंद

निवासी 123, न्यू सिंधी कॉलोनी, भोपाल

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/10/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 08.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बावड़ियाकलां, तहसील हुजूर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 431/2/2 रकबा 0.37 एकड़ पर मतधुबनी ढाबा/गार्डन बनाकर अवैध रूप से व्यपवर्तन किये जाने से अशोक गेहानी के विरूद्ध अर्थदण्ड राशि रूपये 5,25,42,000/- अधिरोपित अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी.नगर जिला भोपाल द्वारा किया गया। अशोक गेहानी के पुनर्विलोकन आवेदन पर अपर कलेक्टर, भोपाल से अनुमति प्राप्त कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 13/पुनर्विलोकन/13-14 दर्ज कर दिनांक 07.01.2013 को अशोक गेहानी के विरूद्ध रूपये

5,25,42,000/- अधिरोपित अर्थदण्ड समाप्त कर पुनर्निर्धारण एवं अर्थदण्ड सहित रूपये 3,80,10,176/- वसूली के आदेश दिये गये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील कलेक्टर, जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। कलेक्टर द्वारा दिनांक 06.01.2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 08.01.2018 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) कलेक्टर, जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत अपील में मुख्य आधार यह उठाया कि अवैध व्यपवर्तन 2000-01 को किया जाना मान्य किया गया है। उस समय अवैध व्यपवर्तन किये जानेपर शासकीय रूपये 2000.00 तक अधिकतम की जा सकती थी। वर्ष 2011 में हुए संहिता के व्यापक संशोधन में ऐसी शास्ती को बाजार मूल्य से 20 प्रतिशत तक करने का प्रावधान संहिता में लागू किया गया है। चूंकि अवैध व्यपवर्तन वर्ष 2000-01 में किया गया था एवं वर्ष 2011 का संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हुआ था। इस कारण ऐसी शास्ती आरोपित नहीं की जा सकती है।

(2) कलेक्टर ने प्रथम अपील में इस तथ्य को स्वीकार किया कि वर्ष 2011 का संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हुआ है, किन्तु उन्होंने प्रकरण दर्ज करते समय के संशोधन के आधार पर शास्ती को सही माना एवं अपर आयुक्त ने भी ऐसे आदेश की पुष्टि की, जबकि प्रकरण दर्ज होते समय कोई अवैध व्यपवर्तन की अवस्था विद्यमान ही नहीं थी। इसके अलावा विचारण न्यायालय द्वारा वर्ष 2000-01 से लेकर वर्ष 2013-14 तक पुनर्निधारित भू-राजस्व एवं उस पर ब्याज भी आरोपित किया है। दोनों अवस्था एक साथ मान्य नहीं की जा सकती हैं।

(3) यदि माननीय न्यायालय वर्ष 2000-01 को अवैध व्यपवर्तन मान्य करते हैं तो इस दिनांक से लेकर आज तक का एवं भविष्य में नियमित रूप से परिवर्तित भू-राजस्व मय ब्याज एवं शास्ती के आवेदक अदा करने को तत्पर है, किन्तु यदि वर्ष 2014 को प्रकरण प्रारंभ करते समय को आधार माना जाता है तब उस समय कोई अवैध व्यपवर्तन विद्यमान नहीं था। नगर पालिका निगम भोपाल द्वारा आवेदक के 30-35 वर्ष पुराने निर्माण को अवैध मैरिज

गार्डन दर्शाकर ध्वस्त कर दिया था एवं प्रकरण प्रारंभ होने की तिथि पर कोई अवैध व्यपवर्तन की अवस्था विद्यमान नहीं थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अत: उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध व्यपवर्तन प्रमाणित है और आवेदक द्वारा इस बात को स्वयं भी स्वीकार किया है। वर्ष 2011 में संहिता के संशोधित प्रावधान आने के बाद 2013 की स्थिति तक अवैध व्यपवर्तन रहा है। अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तत्समय के प्रावधानों के अंतर्गत उचित आदेश पारित कर पुननिर्धारण एवं अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूली के आदेश दिये गये हैं, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधिसंगत पाते हुए कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाशमें तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। दर्शित परिस्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्क अमान्य किये जाते हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर